

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ (उत्तर-प्रदेश)

पत्रांक : शि०स०/ 46692-96

/ 2015-16

दिनांक 06.11.2015

(प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम)

सेवा में,

प्रबन्धक,

एस.आर.कॉन्वेंट स्कूल, विठ्ठलपुर-चरसोरा
जिल्सी रोड, इस्लामनगर (बदायूँ)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31.08.2015 को प्राप्त कराये आवेदन के 01.07.2014 को स्वीकार करते हुए, के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं.....जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ, एस.आर.कॉन्वेंट स्कूल, विठ्ठलपुर-चरसोरा, जिल्सी रोड, इस्लामनगर (बदायूँ) को तारीख 01 जुलाई 2015 से तारीख 30 जून 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।


उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा- नर्सरी से कक्षा- 8 में उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ौस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- 1- प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

//Praveen/Manyta



प्रबन्धक

एस० आर० कॉन्वेंट स्कूल
इस्लामनगर (बदायूँ)





Principal

S.R.Convent School
Islamnagar (Badaun)

- 2- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्ष नहीं किया जायेगा।
- 3- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- 4- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- 5- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- 6- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- 7- अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - 8- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया-कलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मात्रकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
 - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
 - कुल निर्मित क्षेत्र
 - क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल
 - कक्षाओं की संख्या
 - प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भण्डारागार के लिए कक्ष
 - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
 - पेयजल सुविधा
 - मि-डे मील पकाने के लिए रसोई
 - बाधारहित पंहुच
 - अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

क्रमशः3 पर

//Praveen Manya

Praveen Manya
 प्रबन्धक
 एस. आर. कान्वेंट स्कूल
 इस्लामनगर (बदायूं)

Sr. Gupta
 Principal
 S.R. Convent School
 Islamnagar (Badaun)

- 11- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 01/2015-16 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
- 16- सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए गये हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गये हैं उनमें भविष्य में कोई त्रुटि अथवा असत्यता पाये जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ

पृ०सं० : शि०सं०/ /2015-16 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित :-

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल, बरेली।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी।
4. समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

प्रबन्धक

प्रिंसिपल
कॉन्वेंट स्कूल
इस्लामनगर (बदायूँ)

Principal
S.R.Convent School
Islamnagar (Badaun)